G. J. College, Bihta, Patna

B.A.-II

By- Kumari Rajani Singh, Assistant Prof., Economics

सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure) : -

सार्वजनिक व्यय से आशय सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय से है। इसका उद्देश्य करारोपण से होने वाली सामाजिक हानि की क्षतिपूर्ति करना और सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना होता है।

क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक व्यय को अनुत्पादक मानते हुए उसके कार्यक्षेत्र को लोक प्रशासन, नागरिक सुरक्षा, प्रतिरक्षा जैसे मामलों तक सीमित रखा।

1930 की मंदी के बाद सार्वजनिक व्यय का महत्व समग्र मांग की कमी की क्षतिपूर्ति करने के संदर्भ में भी हो गया। कल्याणकारी राज्य की विचारधारा के साथ सार्वजनिक व्यय का कार्यक्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो गया है।

सार्वजनिक व्यय के नियम : -

फिंडले सिराज (द साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस) ने सार्वजनिक व्यय के संदर्भ में 4 नियमों की चर्चा की है।

1. लाभ अथवा हित का नियम
2. मितव्ययिता का नियम
3. स्वीकृति का नियम
4. आधिक्य का नियम

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य नियमों की चर्चा की जाती है।

लोच का नियम

आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक व्यय को घटाया बढ़ाया जा सके।

उत्पादकता का नियम

सार्वजनिक व्यय के द्वारा उत्पादन क्षमता में वृद्धि।

राष्ट्रीय आय संवितरण का नियम

सार्वजनिक व्यय से आय वितरण की विषमता दूर हो।

लाभ अथवा हित का नियम

सार्वजनिक व्यय इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सार्वजनिक लाभ अधिक किया जा सके।

मितव्ययिता का नियम

सार्वजनिक व्यय इस प्रकार किया जाना चाहिए जिसमें अपव्यय बहुत कम हो।

स्वीकृति का नियम

सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण

सार्वजनिक व्यय को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया है।

एडम स्मिथ ने सार्वजनिक व्यय को कार्यों के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत किया है।

a- रक्षात्मक व्यय

b- व्यवसायिक व्यय

c- विकासात्मक व्यय

जे एस मिल ने सार्वजनिक व्यय को आवश्यकता के आधार पर दो भागों में बांटा।

a- आवश्यक व्यय

b- ऐच्छिक व्यय

डाल्टन ने सार्वजनिक व्यय को उससे मिलने वाले प्रतिफल के आधार पर दो भागों में बांटा।

a- अनुदान- जिसके बदले सरकार को कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है।

b- क्रय मूल्य- जिन भाइयों के बदले सरकार कुछ प्रतिफल प्राप्त करती है।

प्रो. जे के मेहता ने सार्वजनिक व्यय को दो भागों में बांटा।

a- **स्थिर व्यय**- जो सदैव बने रहते हैं।

b- **परिवर्तनशील व्यय**- जो आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं।

प्रो. पिंडली सिराज ने सार्वजनिक व्यय को दो भागों में बांटा।

a- **प्राथमिक व्यय**- जो राज्य का अस्तित्व बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

b- **गौण व्यय-** जो प्राथमिक व्यय के अतिरिक्त किए जाते हैं।

प्रो. निकोलसन ने सार्वजनिक व्यय से होने वाली आय के आधार पर सार्वजनिक व्यय को चार भागों में बांटा।

a. ऐसे व्यय जिनसे सरकार को प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रुप में आए प्राप्त ना हो।

b. ऐसे व्यय जिन से सरकार को प्रत्यक्ष रूप में तो आय प्राप्त ना हो किंतु परोक्ष रूप से कुछ न कुछ आय प्राप्त हो।

c. ऐसे व्यय जिनसे सरकार को आंशिक रूप से आय प्राप्त हो।

d. ऐसे में जिन से सरकार को लागत से अधिक आय प्राप्त हो।

प्लेहन ने कल्याण के आधार पर सार्वजनिक व्यय को चार भागों में बांटा।

a. ऐसे में जो समाज में रहने वाले सभी लोगों को लाभान्वित करते हैं।

b. ऐसे व्यय जो किसी एक वर्ग के हित के लिए किए जाते हैं किंतु अप्रत्यक्ष रूप से पूरा समाज लाभान्वित होता है।

c. ऐसे में जो व्यक्ति विशेष के लिए किए जाते हैं किंतु अप्रत्यक्ष तौर पर पूरा समाज लाभान्वित होता है।

d. ऐसे में जो विशिष्ट व्यक्तियों को ही लाभ पहुंचाते हैं।